



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1839

दिनांक-07.10.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज

- थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा जिलाबदर आदेश का उल्लंघन कर जनपद की सीमा में निवास कर रहा अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली वसन्त कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक श्री डी.के. सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम लोखरिया थाना गोसाईगंज लखनऊ को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 19.08.2026 को न्यायालय श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) लखनऊ महोदय द्वारा वाद संख्या 35(08)/2026 धारा 3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में अभियुक्त शिवम उपरोक्त के विरुद्ध 06 माह के लिये जिलाबदर आदेश जारी किया गया था। दिनांक 06.10.2026 की शाम को थाना स्थानीय की पुलिस को मुखबिर खास से अभियुक्त शिवम के ग्राम लोखरिया में गांव के बाहर बने मन्दिर के पास बैठे होने की सूचना मिलने पर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 369/2026 धारा 10 उ.प्र. गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-शिवम पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम लोखरिया थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग -

01-मु0अ0सं0- 369/2026 धारा- 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 थाना गोसाईगंज लखनऊ

05-आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 592/2025 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज लखनऊ
2. मु0अ0सं0- 402/2025 धारा 61(2)/109(1)/191(2)/191(3)/115(2) बीएनएस थाना सु0गो0सिटी लखनऊ
3. मु0अ0सं0- 319/24 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज लखनऊ
4. मु0अ0सं0- 413/2022 धारा 323/325/504 भा0द0वि0 थाना गोसाईगंज लखनऊ
5. मु0अ0सं0- 369/2026 धारा- 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 थाना गोसाईगंज लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बादल सरोहा थाना गोसाईगंज, लखनऊ
2. हे0का0 सर्वेश कुमार सिंह थाना गोसाईगंज, लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1842

दिनांक-07.10.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गोमतीनगर विस्तार

- गोमतीनगर विस्तार पुलिस द्वारा मारपीट एवं जानलेवा हमले के मामले में 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
- अभियुक्तों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी श्रीमती किरन पत्नी अवधेश कुमार, निवासी विशालखण्ड-4, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा बाबत विपक्षीगण द्वारा वादिनी के पति व उसके दो पुत्र प्रिन्स व अर्जुन को जान से मारने के धमकी देना व धारदार चाकू से जान से मारने की नियत से हमला करने के सम्बन्ध में प्रा0पत्र दिया जिसके आधार पर दिनांक 06.10.2026 को मु0अ0सं0-182/2026 धारा 109(1)/118(1)/351(3) बीएनएस बनाम 1. आशू कनौजिया एवं 2. रोहित कनौजिया, निवासी अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही, चश्मदीद गवाहों के बयान, मजरूब के बयान एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों नामित अभियुक्तगण 1. आशू कनौजिया पुत्र राजकुमार, निवासी 2/227 विकास खण्ड-2, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष एवं 2. रोहित कनौजिया पुत्र सुनील कनौजिया, निवासी छोटी कसमण्डी, मलिहाबाद, लखनऊ, हालपता- साहू आटा चक्की के पास, ग्वारी गांव, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण से पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में उनकी निशानदेही पर जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं0-1 के पास रेलवे लाइन के समीप से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद किया गया। साक्ष्य संकलन एवं बरामदगी के आधार पर प्रकरण में आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को आवश्यक विधिक एवं मेडिकल कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-182/2026 धारा 109(1)/118(1)/351(3) बीएनएस, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. आशू कनौजिया पुत्र राजकुमार निवासी 2/227 विकास खण्ड-2, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. रोहित कनौजिया पुत्र सुनील कनौजिया, निवासी छोटी कसमण्डी, मलिहाबाद, लखनऊ, हालपता- साहू आटा चक्की के पास, ग्वारी गांव, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 23 वर्ष।

04- बरामदगी विवरण-

➤ घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू, बरामद।

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ (विवेचक)।
2. उ0नि0 श्री सत्यम गुप्ता, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
3. म0उ0नि0 सुश्री सपना यादव, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
4. का0 विशाल कुमार वर्मा, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1841

दिनांक-07.10.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गोमतीनगर

- थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.07.2026 को वादिनी श्रीमती राखी सिंह पत्नी स्व0 ब्रजेश कुमार सिंह, निवासी सिविल लाइन्स, बांदा (उ0प्र0), हाल पता- ए-101 प्रिंसेस पार्क, अहिंसा खण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी एवं उनके पति स्व0 ब्रजेश कुमार सिंह को मृत दर्शाकर, वादिनी के पति की इकलौती वारिस का फर्जी वारिस प्रमाण पत्र तैयार कर प्लॉट/भूखण्ड संख्या ए-1/63, विरामखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को अपने पक्ष में करने तथा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर उक्त प्लॉट को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने के संबंध में थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 0331/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस बनाम 01.कल्यायनी पत्नी योगेन्द्र सिंह नि0 सुभाष खेडा पोस्ट इचौली रायबरेली 02.ललित चन्द्र पुत्र आनन्दराम नि0 बी-239 सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्ध नगर 03. अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह नि0 सी-2/29 विनीतखण्ड गोमतीनगर लखनऊ, 04.शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र बिजेन्द्र वीर सिंह नि0 पी- 247 नेहरू इन्केलव गोमतीनगर लखनऊ, 05. जहीर व अन्य अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना उ0नि0 मो0 जसीम रजा द्वारा की जा रही है।

उक्त अभियोग में थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 06.10.2026 को दयाल चौराहा, थाना गोमतीनगर, लखनऊ से अभियुक्त रितिक अवस्थी पुत्र दिनेश कुमार अवस्थी, निवासी मकान नं0 5/795, सेक्टर-5, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ, स्थायी पता- ग्राम व पोस्ट बछरावां, दखिना टोल प्लाजा, थाना बछरावां, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है अन्य अभियुक्तगण की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-रितिक अवस्थी पुत्र दिनेश कुमार अवस्थी, निवासी मकान नं0 5/795, सेक्टर-5, थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ, स्थायी पता- ग्राम व पोस्ट बछरावां, दखिना टोल प्लाजा, थाना बछरावां, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 30 वर्ष।

03- अनावृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0331/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, थाना गोमतीनगर लखनऊ।

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जसीम रजा, थाना गोमतीनगर, लखनऊ
2. उ0नि0 मारुफ आलम, थाना गोमतीनगर, लखनऊ
3. का0 अंकुर चौधरी, थाना गोमतीनगर, लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1840

दिनांक-07.10.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

- थाना चौक पुलिस टीम के द्वारा 01 शातिर टप्पेबाज को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से 18.5 लाख रुपये व 217.48 ग्राम पीली धातु के आभूषण बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.09.2026 को वादी मुकदमा श्री संजीव कुमार रस्तोगी पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद रस्तोगी, निवासी 466/97ए पीर बुखारा, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ, जो आभूषण व्यवसायी हैं, द्वारा थाना चौक पर तहरीरी सूचना दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक सोने की परत चढ़ी ब्रॉन्ज/अन्य धातु की चार ईंटों को असली सोना बताकर वादी से 2861 ग्राम सोने के आभूषण एवं ₹20,00,000/- से अधिक की नकद धनराशि प्राप्त कर ली गई है।

उक्त सूचना पर थाना चौक पर मु०अ०सं०-204/2026 धारा 318(4) बीएनएस बनाम 1. अजय चौधरी पुत्र अज्ञात निवासी रोहतक व 2. अन्य अज्ञात साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभियुक्तगण की तलाश/सुरागरसी-पतारसी के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त अनवर पुत्र अब्दुल अजीज, निवासी मकान नम्बर 943 खजूरी कोठी, मीनाक्षी रोड, किला कोना, गढ़गेट, थाना कोतवाली नगर, जनपद हापुड़, उम्र करीब 48 वर्ष को दिनांक 06.10.2026 को समय करीब 19:50 बजे जेनेश्वर मिश्र पार्क के पास, गोमती नगर विस्तार, से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तगण 1. आशू, 2. मुसाहिद एवं 3. सरफराज की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

पूछताछ एवं अब तक संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना की तैयारी लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व से की जा रही थी तथा लखनऊ के कई सर्राफा व्यवसायी उनके निशाने पर थे। अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वादी संजीव कुमार रस्तोगी के साथ उक्त धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया।

अभियुक्तगण द्वारा घटना के दौरान पहचान छिपाने एवं पुलिस की निगरानी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाती थी। एक ही मोबाइल फोन एवं एक ही सिमकार्ड का प्रयोग केवल संबंधित व्यापारी से बातचीत के लिए किया जाता था तथा लखनऊ आने के बाद ही उक्त मोबाइल फोन को सक्रिय किया जाता था। अभियुक्तगण अपने निजी मोबाइल फोन एवं अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज साथ लेकर नहीं चलते थे। सीसीटीवी कैमरों की ट्रेसिंग से बचने के उद्देश्य से पब्लिक ट्रांसपोर्ट/बसों का अधिकतम प्रयोग किया जाता था। साक्ष्य संकलन एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। प्रकरण में अन्य आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

01-मु०अ०सं०-204/2026 धारा 318 (4) BNS व बढ़ोत्तरी धारा 317(2)/61(2) BNS थाना-चौक लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अनवर पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मकान नम्बर 943 खजूरी कोठी मीनाक्षी रोड किला कोना गढ़गेट थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ उम्र करीब 48 वर्ष

04- प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण-

1.आशू 2. मुसाहिद 3. सरफराज पुत्रगण अज्ञात नि0 अज्ञात (वाँछित)

05- बरामदगी का विवरण-

➤ 18 लाख 50 हजार रुपये नगद (500रूपये की 37 गड्डी)

217.48 ग्राम पीली धातु के जेवरात-

- 24 अदद पीली धातु के कंगन कुल वजन 92.480 ग्राम,
- 5 अदद पीली धातु के हार कुल वजन 95.62 ग्राम,
- एक पीस ब्रेसलेट वजन 29.6 ग्राम

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय थाना चौक लखनऊ ।
2. उ0नि0 जयकृष्ण द्विवेदी, चौकी प्रभारी चौक, थाना चौक लखनऊ ।
3. उ0नि0 उ0नि0 दीपांकर शर्मा थाना चौक लखनऊ ।
4. उ0नि0 उ0नि0 दीपक शाक्य थाना चौक लखनऊ ।
5. हो0का0 (चालक) भूपेन्द्र सिंह ,थाना चौक लखनऊ ।
6. का0 परम सिंह, थाना चौक लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1838

दिनांक 07.10.2026

जोन-मध्य/थाना-आशियाना

थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01- संक्षिप्त विवरण

थाना स्थानीय पुलिस टीम उ0नि0 अग्रचारी यादव मय हमराह कां0 संजय सरोज के द्वारा NBW वाद संख्या एन0बी0डब्लू0 एसटी न0 1407/2008 अ0सं0 226/2008 धारा 392 भादवि न्यायालय ADJ-18 जनपद लखनऊ बनाम फिरोज खान उर्फ नदीम उर्फ कामरान उर्फ शेरखान पुत्र मो0 रफीक निवासी म0न0 1/334 विकास नगर थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ हाल पता गेट न0 2 सी-54 जानकी विहार मस्जिद के सामने सहारा स्टेट के पीछे थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 56 वर्ष के घर पर दबिश दी गयी तो अभियुक्त उपरोक्त पते पर मौजूद नहीं मिला तत्पश्चात मुखबिर खास सूचना के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को उसकी बहन रूबीना बानो के घर गेट न0 2 सी-54 जानकी विहार मस्जिद के सामने सहारा स्टेट के पीछे थाना जानकीपुरम लखनऊ में दबिश देकर अभियुक्त को गैर जमानती वारण्ट के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये मा0 न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 06.10.2026 को समय करीब 16.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02- घटना का संक्षिप्त विवरण :-

मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी किये गये गैर जमानतीय वारण्ट (NBW) के अनुपालन में अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01-फिरोज खान उर्फ नदीम उर्फ कामरान उर्फ शेरखान पुत्र मो0 रफीक निवासी म0न0 1/334 विकास नगर थाना जानकीपुरम लखनऊ हाल पता गेट न0 2 सी-54 जानकी विहार मस्जिद के सामने सहारा स्टेट के पीछे थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 56 वर्ष

04- NBW का विवरण-

01- वाद संख्या एसटी न0 1407/2008 अ0सं0 226/2008 धारा 392 भादवि न्यायालय ADJ-18 लखनऊ

05- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

1. उ0नि0 अग्रचारी यादव थाना आशियाना, लखनऊ
2. कां0 संजय सरोज थाना आशियाना, लखनऊ